-1-

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

251

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र. कं. /2010 पुनरीक्षण R-1597-II/2010

1 भागीरथ पुत्र गोरेलाल यादव
2. कृपाराम पुत्र गोरेलाल यादव
निवासीगण ग्राम झिकमऊ तह० नौगांव
जिला- छतरपुर (म.प्र.)

~~श्रीमती पड़रावाली बेवा गोरेलाल यादव~~ / मृत
निवासी ग्राम झिकमऊ तहसील नौगांव
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

16-11-10 माननीय न्यायालय के आदेश पत्रिका दिनांक 19.10.16 के पालन में अपेक्षितानुसार संशोधन किया

1. श्रीमती कस्तूरी पुत्री स्वं. गोरेलाल पत्नी श्री पवन कुमार यादव निवासी बेनीगंज (गाडीखाना) छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. श्रीमती केशर पुत्री स्व. गोरेलाल पत्नी आजाद सिंह यादव निवासी पुरैनी तहसील रोड, जिला हमीरपुर (उ.प्र.)
3. श्रीमती मेवा पुत्री स्व. गोरेलाल पत्नी महीप सिंह यादव निवासी ग्राम सिमरिया तहसील वण्डा, जिला सागर (म.प्र.)
4. ~~भागीरथ पुत्र स्वं. गोरेलाल यादव~~
5. ~~कृपाराम पुत्र स्व. गोरेलाल यादव~~
दोनों निवासी ग्राम झिकमऊ तहसील नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
16-11-10 एडवोकेट
ग्वालियर

माननीय न्यायालय के आदेश पत्रिका दि. 19.10.16 के पालन में अनावेदक क्र. 4 व 5 का नाम आवेदक के रूप में व्यक्त किया

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्र.कं. 05 अ/27 10–11 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2010 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदक एवं अनावेदक कं. 4 व 5 ने तहसील न्यायलाय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम झिकमऊ प.ह.नपं. 44 राजस्व

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.... R-1597/II/10.... जिला ..... छतरपुर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.1.17	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक क.1 की ओर से कमलेश द्विवेदी उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 5/अ—27/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 30—10—2010 के विरूद्व म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा है कि आवेदक एवं अनावेदक क. 4 व 5 ने तहसील न्यायालय ग्राम झिकमऊ हल्का नंबर 44 राजस्व निरीक्षक महराजपुर तहसील नौगॉव में स्थित वादग्रस्त भूमि आवेदक एवं अनावेदकगणों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने और आपसी बंटवारा के आधार पर आवेदक एवं अनावेदक क. 4 व 5 को संपूर्ण तथा अनावेदक क. 1 लगायत 3 को चल संपत्ति तथा धनराशि दी गई थी। उपरोक्त संपूर्ण भूमि पैत्रक भूमि है जिसका बंटवारा पिता स्व. गोरेलाल के समय ही हो गया था इस कारण विचारण न्यायालय के प्र.क 49/अ—27/01—02 आदेश दिनांक 03.10.2002 में किए गए विधिवत बंटवारा आदेश को स्थिर रखे जाने और इसी के अनुसार वर्तमान अभिलेख दुरूस्त किए जाने का अनुरोध किया है। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदा महराजपुर द्वारा पारित आदेश की अपील अधीनस्थ न्यायालयों में चलती रहीं माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण क्रमांक 1098 II/06 में उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर आपसी समझौता हो जाने से सहमति शपथपत्र प्रस्तुत किए गए जिसमें समझौता पत्र को आदेश का अंग मानते हुए तत्कालीन प्रशासकीय सदस्य द्वारा आदेश दिनांक 22.09.2009 को पारित किया है। किंतु उसका पालन अधीनस्थ न्यायालयों	

R. 1597. IE/2010 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा नहीं किया गया है। वर्तमान में आवेदिका फौत हो चुकी है उन्होंने अपने हिस्से की भूमि का विकय प्रदीप तनय भागीरथ को कर दिया है इसी प्रकार खातेदार कस्तूरी देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विकय अनावेदक कृपाराम के पूत्र आनंद एवं अभिषेक को दिनांक 29.09.2014 को कर दिया है। निष्पादित विकयपत्र के अनुसार उभयपक्ष काबिज है इस कारण पूर्व में हुए समझौता विलेख एवं रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर क्रेतागण एवं शेष रकवा आवेदिका के वारिस भागीरथ एवं कृपाराम के नाम दर्ज किए जाने का अनुरोध किया है। 3— मैने आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्ररिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं प्रस्तुत का अवलोकन किया इस प्रकरण में यह निर्विवाद है कि विवादित भूमि पैत्रक भूमि है उभयपक्षों के मध्य प्रकरण में संलग्न समझौता विलेख अनुसार पूर्व प्रशासकीय सदस्य द्वारा प्र.क.क. 1098 II/06 आदेश दिनांक 22.09.2009 में प्रकरण का निराकरण करते हुए समझौता पत्र के आधार पर प्रकरण निराकृत किया है जो वर्तमान में प्रभावशील है खातेदार द्वारा रजिस्टर्ड विकयपत्र के आधार पर भूमि का हस्तांतरण किया है जिसपर कोई विवाद नहीं है इस कारण पारिवारिक समझौता विलेख के अनुसार प्रकरण का नामांतरण किया जान न्यायसंगत पाता हूँ। 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2010 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2010 निरस्त करते हुए तहसीलदार महराजपुर के प्र.क. 49/अ—27/2001—2002 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2002 स्थिर रखते हुए शेष रकवा वारिस भागीरथ एवं कृपाराम के नाम दर्ज किए जाने के निर्देश दिए जाते है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापिस किए जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	